राजस्थान-सरकार
देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांकः-प0 4(3)सै.क./98   दिनांकः- 16-8-99

: आदेश :

विषयः- युद्ध विधवाओं को 300/-रुपये मासिक सम्मान भत्ता देने हेतु नियम ।

राजस्थान के राज्यपाल विभिन्न युद्धों, काउन्टर इन्सरजेन्सी आपरेशनों, एवं एड टू सिविल ओथोरिटी में शहीद सैनिकों की विधवाओं (युद्ध विधवाओं) को 300/- रुपये मासिक सम्मान भत्ता देने हेतु नियम बनाने की सहमति प्रदान करते हैं, अर्थातः-

1- (1) ये नियम राजस्थान युद्ध विधवा सम्मान भत्ता नियम, 1998 के नाम से जानें जावेंगें ।

(2) ये नियम 1.4.1998 से प्रभावी होगें ।

2- परिभाषा

(1) युद्ध से अभिप्रायः प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध 1947, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 एवं 1971, विभिन्न काउन्टर इन्सरजेन्सी ओपरेशन तथा एड टू सिविल ओथोरिटी से है ।

(2) युद्ध विधवा से अभिप्रायः ऐसी विधवाओं से है जिनके पति सैन्य सेवा के दौरान विभिन्न युद्धों एवं विभिन्न काउन्टर इन्सरजेन्सी ओपरेशनों एवं एड टू सिविल आथोरिटी के दौरान शहीद हो गये हों ।

(3) आवेदक से अभिप्रायः उपरोक्त परिभाषित युद्ध विधवा से है जो राजस्थान की मूल निवासी है ।

(4) मूल निवासी से अभिप्रायः राजस्थान में जन्में व शिक्षित हुए हो एवं राजस्थान के मूल निवासी हो ।

(5) "सम्मान भत्ता" से अभिप्रायः इन नियमों के तहत प्रदत्त सम्मान भत्ता से है ।

सम्मान भत्ता की दर

प्रत्येक पात्र युद्ध विधवा को 300/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से

1. Our amplification letter to be issued
2. Info: DGR
   . KSB
   . ESM Deptt
3. [illegible] 3 - Note

Scanned by CamScanner

4— पात्रता

§1§ ऐसी युद्ध विधवाएं जिनके पति सैन्य सेवा के दौरान विभिन्न युद्धों, काउन्टर इन्सरजेन्सी ओपरेशनों एवं एक्ट टू सिविल ओथोरिटी में शहीद हो गये हों ।

§2§ सम्मान भत्ता केवल युद्ध विधवा को ही देय होगा, उनकी संतान या कानूनन उत्तराधिकारी इसके पात्र नहीं होंगें ।

§3§ सम्मान भत्ता युद्ध विधवाओं को उनके जीवनकाल तक ही देय होगा ।

§4§ सम्मान भत्ता की पात्रता संबंधित रिकार्ड कार्यालय/सेना मुख्यालय द्वारा युद्ध विधवा के सत्यापन पश्चात् ही आवेदिका पात्रता की श्रेणी में मानी जावेगी । प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की युद्ध विधवाओं की पात्रता का सत्यापन संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जावेगा जहां से इनको पेंशन मिल रही हो । युद्ध विधवा के सत्यापन हेतु किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप नियमों के संलग्न परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है । रिकार्ड कार्यालय/सेना मुख्यालय से प्राप्त सत्यापन पत्र को संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखेंगे एवं विधवा को जारी परिचय पत्र पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सुपाठ्य अक्षरों में युद्ध विधवा अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करेंगें । यह प्रक्रिया प्रथम बार अपनायी जावेगी तत्पश्चात् परिचय पत्र के आधार पर सम्मान भत्ता भुगतान किया जाता रहेगा । जिन विधवाओं का पूर्व में भूमि आवंटन तथा नकद राशि हेतु रिकार्ड से सत्यापन हो चुका है उनके प्रकरण में पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी ।

5— भुगतान की विधि

§1§ सम्मान भत्ता की राशि निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बजट प्रावधान कराकर प्राप्त की जावेगी एवं युद्ध विधवाओं की संख्या के आधार पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को बजट आवंटन किया जावेगा ।

Scanned by CamScanner

§2§ प्रत्येक आवेदक विधवा को वर्ष में एक बार अप्रेल माह में जीवन प्रमाण पत्र अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।

§3§ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में संधारित रजिस्टर अनुसार युद्ध विधवाओं के चैक तैयार कर जिला कलेक्टर को वितरित करने हेतु प्रस्तुत करेगें ।

§4§ सम्मान भत्ता का भुगतान रेखांकित चैक द्वारा वर्ष में एक बार 15 अगस्त या रेलियों में संबंधित युद्ध विधवा को जिला कलेक्टर या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के माध्यम से किया जावेगा ।

§5§ समस्त युद्ध विधवाओं को भुगतान पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र§आवंटित बजट का संबंधित युद्ध विधवाओं को भुगतान किया जा चुका है§ जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग को भिजवाया जावेगा ।

§6§ सम्मान भत्ता भुगतान प्राप्ति की रसीदे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जावेगी एवं संधारित की जावेगी जो अंकेक्षण हेतु रिकार्ड में सुरक्षित रखी जावेगी ।

§7§ यदि किसी युद्ध विधवा का भुगतान प्राप्ति से पूर्व स्वर्गवास हो जाता है तो किसी को बकाया का भुगतान देय नही होगा ।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 1907 दिनांक 15.7.99 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते है ।

आदेश से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त जिला कलेक्टर§राज0
3. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
4. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट "क"

सम्मान भत्ता हेतु आवेदन पत्र

1- युद्ध विधवा का नाम

2- युद्ध विधवा के पति के नम्बर, रैंक व नाम

3. यूनिट

4. निवास स्थान का पता

5. मूल निवास का पता (स्थायी पता)

6. युद्ध/ओपरेशन का नाम जिसमें विधवा के पति का स्वर्गवास हुआ है ।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित तथ्य सही है ।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
युद्ध विधवा

यह प्रमाणित किया जाता है कि रिकार्ड कार्यालय/सेना मुख्यालय के रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त वर्णित तथ्य सही है । उक्त वर्णित आवेदिका के पति का..... (युद्ध/ओपरेशन का नाम) दिनांक ..... को स्वर्गवास हुआ था ।

हस्ताक्षर मय मोहर
ओफीसर इन्चार्ज, रिकार्ड्स ओफिस

कार्यालय की गोल मोहर

दिनांक

Scanned by CamScanner